Helpline **1064** **94135-02834**

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **चित्तौडगढ़ में चैयरमैन नगरपालिका, बड़ीसादड़ी का रिश्तेदार 2 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *25 मई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की उदयपुर इकाई द्वारा आज मंगलवार को चित्तौडगढ़ के बड़ी सादड़ी में कार्यवाही करते हुये चैयरमैन, नगरपालिका बड़ीसादड़ी निर्मल पितलिया के साले कुश शर्मा को रिश्वत राशि के चैक को बैंक से क्लियर करवाकर 2 लाख रुपये प्राप्त करते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि नगरपालिका, बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौडगढ में उसकी फर्म द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों के बकाया बिलों को पास करने की एवज में चैयरमैन नगरपालिका निर्मल पितलिया द्वारा 50 प्रतिशत कमीशन के रूप में 2 लाख रूपये रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है। आरोपी चैयरमैन द्वारा रिश्वत राशि के रूप में 2 लाख रुपये का चैक मांगा गया है।

जिस पर एसीबी की उदयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री हेरम्ब जोशी एवं उनकी टीम** के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये कुश शर्मा पुत्र श्री सुरेश शर्मा निवासी झाला गली, बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौडगढ़ (आरोपी चैयरमैन निर्मल पितलिया का साला) को रिश्वत राशि के रूप में परिवादी से लिये गये चैक राशि 2 लाख रुपये को एस.बी.आई. बैंक से क्लियर करवाकर 2 लाख रुपये लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। नगरपालिका चैयरमैन निर्मल पितलिया ए.सी.बी. कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।